कार्यालय, नगर पालिका परिषद मंझनपुर, जनपद कौशाम्बी।

संख्या 1662 /न0पा0परि0मं0/अति अल्पकालिक निविदा सूचना/2023 दिनांक 29 अगस्त, 2023

अति अल्पकालिक निविदा सूचना

स्वायत्त निकाय/पब्लिक सेक्टर विभाग/राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार के अन्तर्गत आने वाले सभी शासकीय विभागों में पंजीकृत ठेकेदार/फर्मो को सूचित किया जाता है कि राज्य वित्त आयोग मद में प्राप्त धनराशि के सापेक्ष निम्न निर्माण हेतु अति अल्पकालिक दिनांक 11.09.2023 अपरान्ह 02:00 बजे तक न.पा.परि. मंझनपर कार्यालय में आमंत्रित की जाती है। उपरोक्त निविदा सील बन्द लिफाफे में कार्यालय में रखे निविदा बाक्सा में डाली जायेगी। प्राप्त निविदा लिफाफा को उसी दिनांक 11.09.2023 अपरान्ह 03.00 बजे कार्यालय में उपस्थित निविदादातोओं/निविदा कमेटी के समक्ष खोला जायेगा, निविदा में सम्मिलित कार्यो का विस्तृत विवरण निम्नवत् है –

क्र.सं.	निर्माण कार्य का नाम	अनुमानित लागत (जी.एस.टी. रहित) (लाख में)	बिड सिक्योरिटी (ई.एम.डी. 10%) (रू0 में)	निविदा प्रपत्र का मूल्य (रू0 में)	कार्य पूर्ण करने की अवधि
1	2	3	4	5	6
1	मंझनपुर चौराहा से पाल चौराहा व मंझनपुर चौराहा से तेजमती अस्पताल के आगे व डायट मैदान परिसर तथा बरदहाई तालाब, डी.एम. आवास के सामने तालाब पर स्ट्रीट लाईट पोल पर तिरंगा स्ट्रिप एल.ई.डी. लाईट अधिष्ठापन कार्य।	8.31	83100.00	981.00	01 माह
2	मंझनपुर चौराहा से ओसा चौराहा तक व नवीन नगर पालिका कार्यालय तथा पाल चौराहा से पूर्व चांदनी रेस्टोरेन्ट तक स्ट्रीट लाईट पोल पर तिरंगा स्ट्रिप एल.ई.डी. लाईट अधिष्ठापन कार्य।	8.43	84300.00	995.00	01 माह
3	नवीन कार्यालय में आवास नम्बर 01 के सामने बाउण्ड्रीवाल निर्माण कार्य।	6.95	69500.00	820.00	01 माह
4	नवीन कार्यालय में आवास नम्बर 02 के सामने बाउण्ड्रीवाल निर्माण कार्य।	6.98	69800.00	824.00	01 माह
5	नवीन कार्यालय में स्टोर नम्बर 01 में सी.सी. व पेंटिंग का कार्य।	8.06	80600.00	951.00	01 माह
6	नवीन कार्यालय में स्टोर नम्बर 02 में सी.सी. व पेंटिंग का कार्य।	7.89	78900.00	931.00	01 माह
7	नवीन कार्यालय में स्टोर नम्बर 03 में सी.सी. व पेंटिंग का कार्य।	7.72	77200.00	911.00	01 माह
8	नवीन कार्यालय में तीनो स्टोर के चारो तरफ अपरन व पैराफिट निर्माण कार्य।	4.07	40700.00	480.00	01 माह
9	वार्ड न0 03 चौधरी बैजनाथ नगर मजरा नेहरू नगर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में बाउण्ड्रीवाल इण्टरलाकिंग व टाईलीकरण का कार्य।	8.47	84700.00	999.00	01 माह
10	मोहल्ला कोडर व मोहल्ला असकरनपुर मंगरोहनी इण्डिया मार्का हैण्डपम्प अधिष्ठापन कार्य।	2.12	21200.00	295.00	01 माह
11	मोहल्ला चक नगर प्रथम व मोहल्ला कोडर में इण्डिया मार्का हैण्डपम्प रिबोर कार्य।	1.88	18800.00	295.00	01 माह
12	वार्ड न0 15 सुभाष चन्द्र बोस नगर मजरा असकरनपुर मंगरोहनी में रोहित खरे के घर के पास 2 एच.पी. सबमर्सिबल 5000 लीटर पानी टंकी व पाइप लाइन विस्तार कार्य।	5.92	59200.00	699.00	01 माह

नियम/शर्तेः–

1. निविदा प्रपत्र के साथ **किसी भी शासकीय विभाग में पंजीकृत होने का प्रमाण पत्र के मूल प्रति** के साथ ही ठेकेदार/फर्म के द्वारा अपना अद्यतन वैध **चरित्र प्रमाण पत्र (T-4), हैसियत प्रमाण पत्र (T-5), निर्धारित मूल्य (रू0 100) के एकल न्यायिक स्टॅाम्प पेपर पर कार्य के नाम के स्पष्ट उल्लेख के साथ घोषणा पत्र (T-6), GST रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, श्रम विभाग में पंजीकृत होने के प्रमाण पत्र, निर्धारित मूल्य (रू0 10) के एकल गैर–न्यायिक स्टॅाम्प पर निविदादाता का न तो काई अपराधिक रिकार्ड है और न ही किसी गैर सरकारी संस्था में पंजिकृत है,** विपयक शपथ पत्र की मूल प्रति स्पष्ट रूप से पठनीय हो, सील बन्द लिफाफे में कार्यालय में उपलब्ध कराना अनिवाय।
2. निविदा शुल्क की धनराशि पंजाब नेशनल बैंक शाखा मंझनपुर IFSC कोड PUNB0486900 खाता संख्या 4869000100057833 जो NPP Manjhanpur Tender Fees/Security के नाम से खुले बैंक खाते में जमा करना होगा तथा जमा धनराशि का प्रमाण देना अनिर्वाय होगा या कार्यालय नगर पालिका परिषद मंझनपुर में नकद जमा करना होगा, तभी निविदामान्य होगी
3. निविदा प्रपत्र के साथ 10% जमानत धनराशि का FDR जो अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद मंझनपुर, कौशाम्बी के पदनाम से बन्धक हो, को मूल रूप में जमा करना अनिवार्य होगा, अंयथा सम्बन्धित कार्य की तकनीकी निविदा पर विचार नही किया जायेगा। यह भी किसी भी कार्य की निविदा के साथ संलग्न जमानत धनराशि की FDR की प्रति मात्र एक कार्य की निविदा में ही मान्य होगी अर्थात जमानत धनराशि के FDR में उल्लिखित धनराशि अधिक होने पर भी उपरोक्त जमानत धनराशि का FDR किसी अन्य कार्य की निविदा में मान्य नही होगी। अन्यथा की स्थिति में निदेशक महोदय, स्थानीय निकाय निदेशालय के शासनादेश संख्या 496/कम्प्यू0सेल/2017–18 लखनऊ दिनांक 11 जनवरी, 2019 के अनुरूप निविदादाता के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही की जायेगी एवं पंजीयन निरस्त कर काली सूची में डाले जाने की कार्यवाही की जायेगी।
4. निविदा में किसी प्रकार की त्रुटि तथा सशर्त निविदामान्य नहीं होगी एवं अपूर्ण पाये जाने पर आशिंक रूप से या सम्पूर्ण निविदाप्रक्रिया को निरस्त करने अथवा संशोधन करने का अधिकार अद्योहस्ताक्षरी में निहित होगा।
5. उपरोक्त निविदा में सम्मिलित निर्माण कार्यो में निदेशक महोदया, स्थानीय निकाय निदेशालय, लखनऊ के द्वारा निर्गत निर्देश पत्र संख्या टी.सी./314/8/डी.एल.बी./2020 दिनांक 01.01.2021 में निर्माण कार्यो हेतु उल्लिखित दिशा निर्देशो तथा अपर मुख्य सचिव महोदय, नगर विकास विभाग अनुभाग–9 उ0प्र0 शासन के द्वारा नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत में निर्माण/विकाय कार्यो हेतु मानक संचालन प्रक्रिया (एस.ओ.पी.) विपयक निर्गत शासनादेश संख्या 1319/नौ–9–21–45ज/21 नगर विकास विभाग, अनुभाग–9 लखनऊ दिनांक 30 जून, 2021 में वर्णित समस्त निर्देशो के साथ ही भिन्न–भिन्न समय में उच्चाधिकारियो के द्वारा निर्गत किये गये तथा भविष्य में निर्गत होने वाले समस्त दिशा निर्देशो का अनुपलन करना होगा।
6. निविदा में सम्मिलित निर्माण कार्यो हेतु जमा की गयी जमानत धनराशि को अपर मुख्य सचिव महोदय द्वारा निर्गत एस.ओ.पी. दिनांक 30 जून, 2021 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार एक वर्ष तक कार्य संतोपजनक विपयक अभियंत्रण विभाग की आख्या के अनुसार अवमुक्त किया जायेगा।
7. शासनादेश संख्या–622/23–12–2012–2 आडिट/08 टी0सी0–2 लोक निर्माण अनुभाग–12, लखनऊ दिनांक 08.06.2012 के अनुसार अनुबंध गठन के समय 10 प्रतिशत विलो (Below) दर तक 0.50 प्रतिशत प्रति 1.00 प्रतिशत कम दर पर तथा 10 प्रतिशत से अधिक विलो (Below) दर पर 1.00 प्रतिशत प्रति 1.00 प्रतिशत कम पर सिक्यिोरिटी/परफार्मेस गारण्टी उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।
8. निविदा स्वीकृत होने के पश्चात् नियमानुसार निर्धारित प्रारूप पर स्टाम्प पेपर पर स्वयं के व्यय पर ठेकेदार को अनुबन्ध कराना होगा।
9. प्रत्येक स्वीकृत निर्माण कार्य के अनुबन्ध से पूर्व ठेकेदार को श्रम विभाग में अधिष्ठान पंजीयन एंव निर्माण श्रमिक पंजीयन करवाना अनिवार्य होगा।
10. स्वीकृत कार्य के पूर्व, कार्य के दौरान एंव कार्य पूर्ण होने के बाद की कलर फोटो कार्यालय में उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।
11. निर्माण कार्य की गुणवत्ता की जांच/सत्यापन हो जाने के उपरान्त ही नियमानुसार भुगतान की कार्यवाही की जायेगी। यदि कार्य की गुणवत्ता में किसी भी प्रकार की कमी पायी जायेगी तो सम्बन्धित ठेकेदार द्वारा जमा जमानत धनराशि जब्त करते हुए अन्य कोई विभागीय कार्यवाही की जायेगी।
12. निविदा आमंत्रणकर्ता को आईटीवी के क्लॉज–9 के अनुसार परिशिष्ट/शुद्धि पत्र जारी करने का अधिकार है जो किसी भी समाचार पत्र मे प्रकाशित नही किया जायेगा। अधिक जानकारी के लिए नगर पालिका परिषद, मंझनपुर के कार्यालय से सम्पर्क कर किसी भी कार्य दिवस में प्राप्त किया जा सकता है।
13. उपरोक्त निविदा को स्वीकृत या अस्वीकृत करने का अधिकार अद्योहस्ताक्षरी में निहित होगा तथा समस्त विवाद का न्यायिक क्षेत्र जनपद कौशाम्बी होगा।

29/08/23
(ओमकार पटेल)
अवर अभियन्ता (सिविल)
नगर पालिका परिषद
मंझनपुर–कौशाम्बी

(अनूप राय)
अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद
मंझनपुर–कौशाम्बी

(बीरेन्द्र कुमार)
अध्यक्ष
नगर पालिका परिषद
मंझनपुर–कौशाम्बी

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी महोदय, कौशाम्बी को अवलोकनार्थ।
2. विज्ञापन प्रबन्धक, दैनिक समाचार पत्र आज एवं स्पष्ट आवाज को इस अनुरोध के साथ कि उपरोक्त विज्ञप्ति अपने समाचार पत्र के आगामी अंक में प्रकाशित करके उसकी दो प्रतिया इस कार्यालय को उपलब्ध कराये जिससे प्रकरण में आग्रिम कार्यवाही की जा सकें।
3. नगर पालिका परिषद मंझनपुर की वेब साइड www.nppmanjhanpur.in पर अपलोड किये जाने हेतु।
4. कार्यालय नगर पालिका परिषद मंझनपुर के नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराने हेतु।

(अनूप राय)
अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद
मंझनपुर–कौशाम्बी